अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी-52/2014

ए0एल0बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकःलखनऊःअगस्त ,2014

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि अवॉछनीय तत्वों द्वारा तेजाब के प्रयोग से महिलाओं को गम्भीर शारीरिक क्षति पहुॅचाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को सख्ती से नियंत्रित करने और दोषी व्यक्तियों के विरूद्व कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में शासन एवं इस मुख्यालय के स्तर से समय-समय पर पूर्व में पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं। परन्तु अभी भी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ रही है, जिनमें लड़कियों/महिलाओं पर तेजाब फेंककर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया है।

शासनादेश संख्या-एस0सी0-06(1)छः-पु0-9-13-31(90)/2010 दि0 16.08.2013
अ0शा0पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-2ए(निर्देशा)/ 2013 दि0 12.04.2013
अ0शा0डीजी परिपत्र संख्या-13/2013 दिनांक 17.04.2013
अ0शा0डीजी परिपत्र संख्या-20/2014 दिनांक 04.04.2013
शासनादेश संख्या653/छः-पु0-9-14-31(90)/2010 दि0 09.04.2014
अ0शा0पत्रसंख्या-डीजी-सात-एस-3(253)/2011 पार्ट-2 दिनांक 10.05.2014
शासनादेश संख्या-डब्लू-89/71.2.14-रिट-44/2014 टी0सी0 दि0 06.06.2014

2. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व मे निर्गत निर्देशों/शासनादेश का भली-भॉति अध्ययन कर लें एवं जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर सभी पुलिसकर्मियों को इस तरह के प्रकरण में Sensitize कर दें।

3. तेजाब(एसिड)की बिक्री, पीड़िता को समुचित चिकित्सा उच्च शिक्षा संस्थानों यथा समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ/आर0आई0एसम0एस0सैफई, इटावा/डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीयूयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, लखनऊ/किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में तेजाब(एसिड)के हमले से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा आदि सम्मिलित है। उक्त पर आने वाला व्यय 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

3. पीड़िता या उनके आश्रितों, जिन्हें अपराध के कारण हानि या क्षति हुई है और पुनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति देने के प्रयोजनार्थ **उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014** के अर्न्तगत निधि उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित किये गये कतिपय प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी /निरीक्षक /थानाध्यक्ष को उपरोक्त के सम्बन्ध में भली-भॉति अवगत करायें।

4. इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार भी करायें, जिससे इस प्रकार की घटनायें घटित होने से रोकी जा सकें तथा पीड़ित/पीड़िता को शीघ्रतिशीघ्र क्षतिपूर्ति/पुर्नवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकें।

भवदीय,

(ए0एल0बनर्जी) 14/08/14

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1.पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ ।
4.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।